1 7/16

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये　Rs. 100

रु. 100　ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

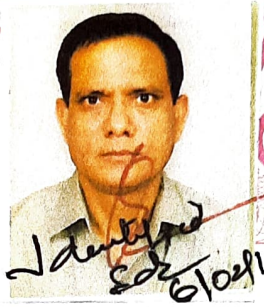

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषागार 22 JAN 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　CK 374495

एक सामान्य चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड
परमहंस पब्लिक स्कूल (पी0पी0एस0)
चैरिटेबल ट्रस्ट के घोषणा पत्र की डीड

850-
1000+100+120

जन चैरिटेबल ट्रस्ट की यह डीड, जो कि 06 फरवरी 2016 को श्री हरिनारायण पुत्र स्व0 परमहंस ग्राम व पोस्ट–डुमरी स्वाँगी पट्टी थाना–हाटा, जनपद कुशीनगर उ0प्र0 पिन कोड–274206 जिन्हें कि संस्थापक–प्रबन्धक कहा जायेगा (इस डीड में इनके कार्यपालक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि उस सीमा तक शामिल माने जायेंगे, जब तक कि उन्हें इस डीड से बाहर न किया जाय या सन्दर्भ के विरुद्ध हों), एक पक्ष के रूप में रहेंगे तथा

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	उम्र	पता	पद
01	श्री हरिनारायण	स्व0 परमहंस	60 वर्ष	ग्राम–डुमरी स्वाँगी पट्टी थाना–हाटा, जनपद कुशीनगर उ0प्र0 पिन कोड–274206	संस्थापक–प्रबन्धक
02	श्री अनिल कुमार	श्री हरिनारायण	31 वर्ष	––तदैव––	उप प्रबन्धक
03	श्री प्रवीण कुमार	श्री हरिनारायण	27 वर्ष	––तदैव––	सचिव
04	श्रीमती उर्मिला	पत्नी श्री हरिनारायण	53 वर्ष	––तदैव––	
05	श्रीमती शालिनी	पत्नी श्री अनिल कुमार	30 वर्ष	––तदैव––	

उक्त तालिका के उल्लिखित समस्त व्यक्तियों को संयुक्त रूप से ट्रस्टी माना जायेगा (इसका आशय यह है कि उक्त ट्रस्टीगण, जब तक कि उन्हें इस डीड से बाहर न किया जाय, या वर्तमान सन्दर्भ के विरुद्ध न हो) एवं उनके उत्तराधिकारी इस ट्रस्ट के सदस्य माने जायेंगे– यह दूसरा पक्ष माना जायेगा।

जहाँ कि ''पूर्त प्रयोजन''(सेटलर) जनहित के उद्देश्य से एक ट्रस्ट स्थापित करने का इच्छुक है।

जहाँ कि ट्रस्टीगण के अनुरोध पर इस ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टीगण के रूप में कार्यरत होने को सहमत हैं, और इस ट्रस्ट की डीड के एक पक्ष के रूप में उनकी पृष्ठभूमि प्रमाणित है।

जहाँ कि इस चैरिटेबल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियम शर्तें घोषित करना आवश्यक है, जो कि इस डीड के नियमों के अधीन बनाई गयी है।

इस ट्रस्ट की डीड का घोषणा पत्र निम्न प्रकार से हैं।

01. यह कि अपनी पूर्व कथित इच्छा को प्रभावी करने हेतु ट्रस्टीगण को पचास हजार रूपये दिये इस धनराशि को यहाँ ट्रस्टफण्ड कहा जायेगा या माना जायेगा। जिसमें नकद तथा किसी प्रकार की सम्पत्ति या किसी भी प्रकार निवेश, जिसमें कि यह धनराशि परिवर्तित की गयी हो या समयान्तर में उसका स्वरूप एक निवेश से दूसरे रूप में बदल रहा हो तथा ट्रस्टीगण से सम्बन्धित हो) तथा ट्रस्टीगण का इस ट्रस्ट फण्ड पर पूरा अधिकार व नियंत्रण रहेगा जो कि इस डीड में उल्लिखित शक्तियां, उपबन्धों समझौता, एवं घोषणा पत्र के अधीन होगा।

02. **इस चैरिटेबल ट्रस्ट का संविधान**

इस ट्रस्ट का नाम परमहंस पब्लिक स्कूल (पी0पी0एस0) होगा जिसका न्यायाधिकरण क्षेत्र उत्तर प्रदेश में होगा तथा पूरे भारत देश में भी विस्तृत होने योग्य होगा या भविष्य में न्यायाधिकरण क्षेत्र पूरे देश में भी हो सकता है।

03. **कार्यालय–**

वर्तमान में इस ट्रस्ट का कार्यालय ग्राम व पोस्ट–डुमरी स्वाँगी पट्टी थाना–हाटा, जनपद कुशीनगर उ0प्र0 पिन कोड–274206 होगा। साथ ही यह भी उपबन्धित है कि ट्रस्टीगण एक स्व.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CK 374496

घोषणा द्वारा इस कार्यालय को ऐसे किसी भी स्थान पर पुनः स्थापित कर सकते हैं जो कि ट्रस्ट के बेहतर प्रबन्धन के लिए सुविधाजनक एवं सकारात्मक हो।

04. **उद्देश्य**— यह ट्रस्ट बिना किसी जाति, सम्प्रदाय एवं धर्म सम्बन्धी विभेद के सभी के हित के लिए कार्य करेगी। इस ट्रस्ट का कार्य पूरे देश में—

1. परमहंस पब्लिक स्कूल (पी०पी०एस०), तकनीकी संस्थाओं को स्थापित करना तथा चलाना जैसे कि प्राइवेट (व्यक्तिगत) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (PVTITIS), पॉलीटेक्निक, इन्जीनियरिंग, बीएड कालेज और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाये, समाज के उत्थान के लिए विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित करना जो कि समाज के लिए उपयोगी हों, तथा बाल विद्यालय, स्कूल, छात्रावास, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, वृद्धाश्रम पुस्तकालय/सूचना/सलाह केन्द्र स्थापित करना जिनका उद्देश्य शिक्षा का विस्तृत प्रसार एवं उन्नयन हो।
2. यह ट्रस्ट महिलाओं के प्रोत्साहन, महिला सशक्तीकरण एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण के क्रियाकलाप आयोजित करेगी तथा लघु उद्योग, क्षेत्र, कुटीर उद्योग, के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिसका मुख्य केन्द्र बिन्दु ग्रामीण क्षेत्र में वितरण तथा प्रचार—प्रसार का रहेगा। साथ ही साथ वयोवृद्ध नागरिकों के विकास व विकलांगों के विकास के कार्यक्रम व क्रियाकलाप भी आयोजित करेगी।
3. स्वास्थ्य शिक्षा/सुविधायें एवं उपचार के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी, जैसे कि चलित हॉस्पिटल सेवायें, स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र, प्राथमिक उपचार केन्द्र, खोलेगी व उन्हें परिमार्जित करेगी।
4. ट्रस्ट द्वारा समाज के सभी युवाजनो के लिए उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक एवं शैक्षिक विकास के कार्यक्रम आयोजित करेगी, जैसे कि उन्हें प्रशिक्षण देना एवं प्रतियोगिता/शो/कार्यक्रम आयोजित करना साथ ही साथ नशीली दवाओं के विरोध के अभियानों को बढ़ावा देगी।
5. ग्रामीण विकास के क्षेत्रों, हेतु कार्यक्रम आयोजित करेगी, जैसे कि पर्यावरण परिवर्तन, भूमि रक्षा, जनसंरक्षण, सामाजिक वानिकी कृषि, स्वरोजगार, पशुपालन, औद्योगिक इकाई स्थापना तथा हस्त कला सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करना। साथ ही साथ कृषि विकास खाद्य प्रसंस्करण, किसानों को प्रशिक्षण एवं धनराशि वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम भी प्रारम्भ करेगी।
6. शारीरिक शिक्षा के सम्बन्धी सभी प्रकार के क्रियाकलाप शुरू करेगी।
7. ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि कार्यशाला, सेमिनार, कैम्प आयोजित करेगी। साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतो जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि को बढ़ावा देगी व कार्बन उत्सर्जन का स्तर घटाने का प्रयास करेगी, जिसका उद्देश्य लोगों (जन सामान्य) के जीवन को आराम देय बनाना होगा। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा मानव कल्याण करने के उद्देश्य से कार्य करेगी।
8. नहरों, जल स्रोतों, तालाब खुदवाने के परिवर्धन, बांधों आदि जल स्रोता के संरक्षण को बढ़ावा देगी। साथ ही ग्रामीण/शहरी स्वच्छ पेयजल, गुणवत्ता में सुधार, जल प्रबन्धन व जल संरक्षण के विषय में जनचेतना का प्रसार करेगी। साथ ही सफाई सम्बन्धी सेवाओं के विषय में परामर्श प्रदान करेगी व भुगतान करो व प्रयोग करो (सुलभ शौचालयों) मॉडलों के शौचालयों को सार्वजनिक स्थानों पर खुलवाने व उनके प्रबन्धन के भी प्रयास करेगी।
9. आपदा प्रबन्धन, आपदा के प्रभावों को कम करने आपदा पूर्व निपटने की तैयारी व आपदा के नुकसानों की भरपाई विषयक विभिन्न योजनायें व क्षमता वृद्धि सम्बन्धी सभी प्रकार के प्रयास करेगी।
10. समाज के निम्न वर्ग के लोगों यथा—(SC/ST/OBC/BPL) के उत्थान के प्रयास करना जिससे कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके जैसे कि कौशल विकास प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा आदि साथ ही जीविकोपार्जन के उन्नयन, स्वरोज़गार एवं सामुदायिक विकास के भी प्रयास करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CK 374497

11. आमजन में देश भक्ति की भावना विषयक चेतना प्रसारित करने के प्रयास करना।
12. यह ट्रस्ट वह कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेगी, जो सरकार द्वारा उसे प्रदान किया जायेगा।
13. युवाओं के खेलकूद सम्बन्धी भावना जागृत करने हेतु विभिन्न खेलकूद सम्बन्धी क्रियाकलाप आयोजित करना।
14. इस प्रकार के क्रियाकलाप करना जिससे कि पर्यावरण जागरूकता में वृद्धि हो व परिस्थितिक संतुलन का परिमार्जन हो, कार्बन उत्सर्जन कम हो, वन्य जीवों की रक्षा हो एवं जानवरों की देखभाल में वृद्धि हो।
15. समाज के सभी वर्गों के लोगों में स्वास्थ्य एवं पोषण, मानवाधिकार सामाजिक न्याय आदि के विषय में जन–संचार के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।
16. यात्रा एवं पर्यटन के विकास को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा, पर्यटन स्थलों का संतुलित व चिरपरक विकास तथा स्वास्थ पर्यटन को भी बढ़ावा देना, ट्रस्ट का उद्देश्य होगा। साथ ही स्थानीय हस्तकला व उससे लगे लोगों को बढ़ावा देना।
17. लोगों को रक्तदान तथा नेत्रदान हेतु प्रोत्साहित व शिक्षित करना।
18. लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा सड़क दुर्घटना की दर को घटाने का प्रयास करना।
19. विद्यार्थियों के कैरियर मार्गदर्शन हेतु सेमिनार का आयोजन व विद्यार्थियों व व्यवसायिकों को मार्गदर्शन करना तथा ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
20. जनसंचार सूचना प्रौद्योगिकी, एड्स के खिलाफ संघर्ष, कृषि विकास व गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी कार्य करना।
21. विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के कार्यक्रम करना, मार्गदर्शन प्रबन्धन सर्वे रिपोर्ट एवं विश्लेषण के कार्य करना। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना व विकास हेतु सहयोग प्रदान करना।
22. विभिन्न प्रकार के अभिलेख जैसे कि – पुस्तकें, पत्रिकायें, समय विशेषांक तथा अखबार पत्र प्रकाशित व वितरित करना, जिससे कि ट्रस्ट के प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। लोगों को जनसंचार के माध्यमों व सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग विषयक जागरूक करना।
23. लोगों के विकास हेतु समयबद्ध बैठकें, लेक्चर, कान्फ्रेंस व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
24. आर्थिक तथा सामाजिक रूप से हाशिये पर जी रहे लोगों के लिए कानूनी (न्यायिक) जागरूकता कार्यक्रम, न्यायिक शिक्षा (कानूनी शिक्षा) के कैम्प, आयोजित कर उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करना।
25. देश के सामान्य लोगों (आमजन) के लाभ हेतु विभिन्न धर्मार्थ/कल्याणकारी संस्थाओं जैसे कि अस्पताल, मैडिकल कालेज, नर्सिंग संस्थायें, दवाखाना मातृ देख-भाल संस्थाओं, बाल कल्याण संस्थाओं आदि की स्थापना, प्रबन्धन व अनुदान उपलब्ध कराना।
26. देश में विद्यालय, कालेज, पुस्तकालय, पाठशाला, विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला अनुसंधान संस्थाओं आदि की स्थापना उनका संचालन सहायता व उक्त हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। साथ ही शिक्षा तथा ज्ञान मे विस्तार हेतु अन्य प्रयास करना।
27. विद्यार्थियों की सहायता हेतु छात्रवृत्ति, अनुदान व अन्य प्रयास जैसे कि पुस्तकों पदक, मासिक आर्थिक सहायता व अन्य उत्साहवर्द्धक प्रयास करना।

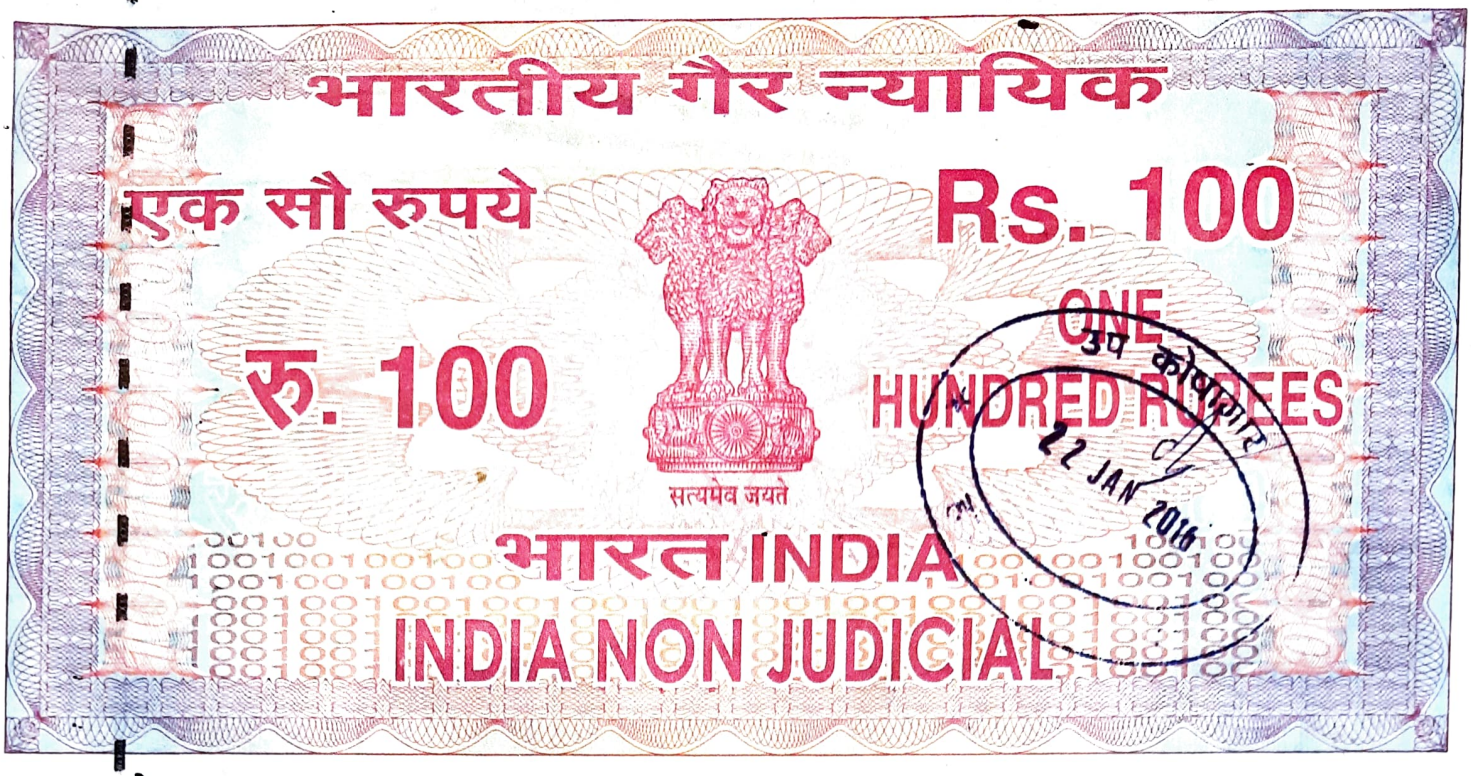

4

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप कोषागार 22 JAN 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CK 374498

28. विज्ञान, साहित्य, संगीत, नाटक व कला की अन्य विधाओं से सम्बन्धित संस्थाओं की स्थापना, सहायता, बढ़ावा या उक्त हेतु अनुदान की व्यवस्था करना तथा साथ ही उक्त उद्देश्य से जुड़े संस्थाओं ऐतिहासिक स्मारक, अनुसन्धान को बढ़ावा देना। एक देश से दूसरे देश के छात्रों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा/विदेशी भाषाओं सम्बन्धित प्रशिक्षण व अनुवाद को बढ़ावा देना।

29. सरकारी तथा गैर सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं (राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तर की) व शरणार्थी शिविरों/कार्यक्रमों के साथ सहयोगपरक कार्य करना।

30. विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित किसी भी राष्ट्रीय या अन्तराष्ट्रीय संस्था को ट्रस्ट की मान्यता देना व उसके साथ कार्य करना।

31. धर्मार्थ कार्य करने वाली संस्थाओं को सहायता, सहयोग, वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान करना, जो गरीबी उन्मूलन शिक्षा, चिकित्सा से जुड़ी हों।

32. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु फण्ड तथा सम्पत्ति जैसे कि अनुदान, डोनेशन, उपहार आदि स्वीकार करना।

33. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थायी सम्पत्ति स्थापित व अधिग्रहण करना जैसे कि भवन, वाहन आदि।

34. क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इकाई, केन्द्र, सहायता समूह, संगठन स्थापित करना।

35. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य प्रयास करना।

36. आयकर अधिनियम 1961 के तहत क्रियाकलाप की 2(15) की परिभाषा के अन्तर्गत विभिन्न धर्मार्थ क्रियाकलाप करना।

37. देश के सामान्य लोगों (आमजन) के लाभ हेतु विभिन्न धर्मार्थ/कल्याणकारी संस्थाओं जैसे कि अस्पताल, मेडिकल कालेज, नर्सिंग संस्थायें, दवाखाना मातृ देख–भाल संस्थाओं, बाल कल्याण संस्थाओं आदि की स्थापना, प्रबन्धन व अनुदान उपलब्ध करना।

38. अस्पताल, मेडिकल स्कूल, मेडिकल कालेज, पशुचिकित्सा के कालेज, नर्सिंग कालेज, दवाखाना, बाल कल्याण गृह, मातृ देखभाल गृह आदि की स्थापना, प्रबन्धन आदि के कार्य करना।

39. पार्क, उद्यान, व्यायामशाला, खेलकूद क्लब, धर्मशाला, विश्राम गृह आदि जो कि आम लोगों के प्रयोगार्थ होते है, की स्थापना, प्रबन्धन व वित्तीय सहायता प्रदान करना। साथ ही वैश्विक स्तर पर लोग द्वारा झेली जा रही सफाई व पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं हेतु शैक्षणिक सहायता व जागरूकता फैलाना।

05. **परमहंस पब्लिक स्कूल (पी0पी0एस0) का बोर्ड आफ ट्रस्टीज–** परमहंस पब्लिक स्कूल (पी0पी0एस0), हाटा कप्तानगंज रोड येलवा सुदामा, हाटा, जनपद–कुशीनगर, उ0प्र0 के ट्रस्टी भी परमहंस पब्लिक स्कूल (पी0पी0एस0) के ही ट्रस्टीज है जो निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	उम्र	पता	पद
01	श्री हरिनारायण	स्व0 परमहंस	60 वर्ष	ग्राम–डुमरी रयौंगी पट्टी थाना–हाटा, जनपद कुशीनगर उ0प्र0 पिन कोड–274206	संस्थापक–प्रबन्धक
02	श्री अनिल कुमार	श्री हरिनारायण	31 वर्ष	––तदैव––	उप प्रबन्धक

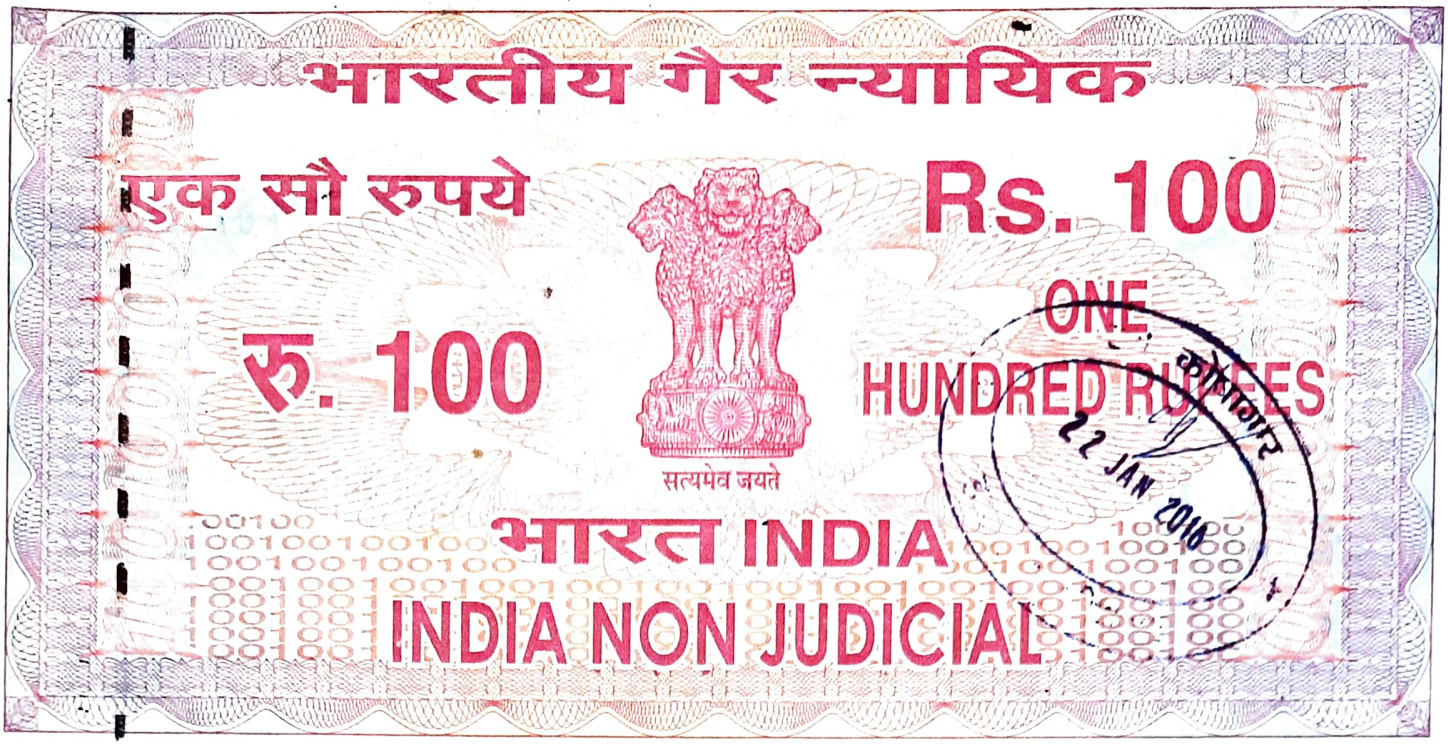

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CK 374499

03	श्री प्रवीण कुमार	श्री हरिनारायण	27 वर्ष	---तदैव---	सचिव
04	श्रीमती उर्मिला	पत्नी श्री हरिनारायण	53 वर्ष	---तदैव---	
05	श्रीमती शालिनी	पत्नी श्री अनिल कुमार	30 वर्ष	---तदैव---	

1. किसी भी समय ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या 3 से कम नहीं होगी व दस से अधिक नहीं होगी। तीन से कम होने की दशा में अतिरिक्त ट्रस्टीज नियुक्त किये जायेंगे।
2. ट्रस्ट के प्रबन्धक को अतिरिक्त ट्रस्टीज की नियुक्ति पुनः नियुक्ति या हटाने का अधिकार होगा लेकिन उसे उक्त हेतु अधिकतम 3 सदस्यों की सलाह/वोट लेना आवश्यक होगा। ट्रस्ट के प्रबन्धक को ट्रस्ट के कोषाध्यक्षों की नियुक्ति व उनके कार्यकाल को लिखित रूप से निर्धारित करने का अधिकार होगा।
3. यदि किसी ट्रस्टी की मृत्यु से सीट खाली होती है या किसी अन्य कारण से तो प्रबन्धक को उक्त रिक्त पूर्ति हेतु नये ट्रस्टी की नियुक्ति का अधिकार होगा।
4. यदि किसी रिक्त स्थान पर नये ट्रस्टी की नियुक्ति नहीं होती है तो इससे ट्रस्ट न तो अवैध माना जायेगा और न ही ट्रस्ट के द्वारा इस हेतु कोई लिया गया निर्णय।
5. ट्रस्ट के फण्ड का निर्माण, प्रारम्भिक फण्ड की आय, तथा डोनेशन व अन्य सहायतार्थ दी गयी धनराशि से निर्मित होगा।
6. ट्रस्ट में उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य किसी मद में ट्रस्ट के फण्ड का प्रयोग नही होगा।
7. ट्रस्टीगण फण्ड प्रयोग का पूरा लेखा तैयार करेंगे तथा उसे ट्रस्ट के कार्यालय में रखेंगे।

06. **ट्रस्टीगण के अधिकार**— यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्टीगण को निम्नलिखित अधिकार होंगें—

1. बिना किसी शर्त के अनुदान, सहायता राशि (नगद या अन्य रूप में) किसी भी व्यक्ति या संस्था या ट्रस्ट से स्वीकार कर सकेंगे।
2. यदि ट्रस्टीगण उचित समझेंगें तो अपने विवेकाधिकार से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के फण्ड का पूरा अथवा किसी अंश का प्रयोग कर सकेंगें।
3. ट्रस्ट सम्पति का स्वरूप परिवर्तन या निवेश कर सकेंगे।
4. ट्रस्ट के फण्ड का निवेश, अंचल सम्पत्ति की नीलामी, शेयर, स्टॉक मार्केट या डिवेन्चर में करने हेतु तथा किसी भी कम्पनी, फर्म या व्यक्ति को लोन देने हेतु या एक प्रकार से निवेश का स्वरूप बदलने हेतु ट्रस्टीगण के पास विवेकाधीन अधिकार होगा।
5. उन्हें धनराशि का भुगतान करने, उधार लेने या बिना प्रतिभूति जमा कराये या जमा कराकर उधार देने का अधिकार होगा।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति (ट्रस्ट फण्ड भी शामिल है) को विक्रय करने, बदलने या छोड़ देने का अधिकार होगा।
7. यदि ट्रस्टीगण उचित समझेंगे तो अपने विवेकाधिकार से ट्रस्ट की सम्पत्ति (ट्रस्ट फण्ड भी शामिल) को किराये पर देने, गिराने (नष्ट करने) का भी अधिकार होगा।
8. ट्रस्ट/ट्रस्टीगण के नामों से बैंक/विभिन्न बैंकों में खाता खोलने, संचालित करने, बैंकों को निर्देश देने, सम्मिलित रूप से खाता संचालन या ट्रस्टीज द्वारा नियुक्त एजेन्ट के माध्यम से खाता संचालन का अधिकार होगा।
9. ट्रस्ट के फण्ड से सम्बन्धित सभी प्रकार के मामलों, विधिक विवादों, क्लेम, मांग, समायोजन समझौता, न्यायिक (कानूनी गतिविधियों) यथा मुकदमा आदि के नेतृत्व का अधिकार होगा।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 374500

10. ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के हित में न्यायिक अधिवक्ता/अधिवक्तागण या एजेन्ट नियुक्त करने, उन्हें ट्रस्टीगण के बोर्ड में निहित अधिकारों के अंश या पूरा अधिकार देने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही ट्रस्टीगण इन एजेन्टों/न्यायिक अधिवक्ताओं को समयानुसार हटा भी सकेंगे।

11. यदि ट्रस्टीगण उचित समझेंगें तो ट्रस्ट के उचित प्रशासन हेतु किसी व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने या उक्त हेतु उपलब्ध कराने का अधिकार होगा। साथ ही ट्रस्ट के किसी निवेश का प्रतिनिधित्व करने हेतु अलग से विशेषज्ञ नियुक्त करने का भी अधिकार होगा। किन्तु उक्त नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार प्रयोग हेतु ट्रस्टीगण द्वारा विस्तृत नियम–कानून रचित किये जायेंगें, जिसके अनुसार ही उक्त नियुक्तियां होगी और ये नियम कानून डीड (विलेख) में उल्लिखित उपबन्धों के अधीन होंगे।

12. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की योजना, नियमों व कानूनों को बनाना, परिवर्तित करना या रूपान्तरित करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबन्धन करना।

13. आम लोगों के लाभ हेतु किसी धर्मार्थ संस्था को प्रारम्भ करने, समाप्त करने, अवरूद्ध करनें, पुनः प्रारम्भ करने व उक्त संस्था द्वारा दी गयी अनुदान पर नियम शर्त लगाने का अधिकार होगा।

14. ट्रस्ट के किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के फण्ड की आय को पूरा या अंश (भाग को) अलग रखना या जारी करने का अधिकार होगा।

15. यदि ट्रस्टीगण अपने विवेकाधिकार से सही समझेगे व ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप होगा तो उन्हें दूसरा ट्रस्ट ज्वाइन करने, उसमें सहयोग करने या उसमें विलय करने का अधिकार होगा।

16. ट्रस्ट के फण्ड की आय में से विभिन्न अन्य धर्मार्थ संस्थाओं, समितियों व संगठनों तथा ट्रस्ट को डोनेशन देना, जिनके उद्देश्य ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप हो।

17. ट्रस्ट से जुड़े सभी विवाद, समझौते, सन्धि व कानूनी विवादों (मुकदमों), क्लेम मांग आदि को सुलझाने का अधिकार होगा किन्तु इनके कार्यों से सम्भावित नुकसान के लिए ट्रस्टीगण जिम्मेदार नहीं होंगे।

18. यदि ट्रस्टीगण अपने विवेकाधिकार से उचित समझेगे तो ये ट्रस्ट के फण्ड में सम्मिलित सम्पत्ति को सेक्योरिटी (प्रतिपूर्ति) के रूप में जमाकर धनराशि फण्ड उधार ले सकेंगे व इसकी नियम व शर्तें ये अपने विवेक से तय कर सकेंगे।

19. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्टीगण सरकार, सार्वजनिक इकाइयों, शहरी एवं ग्रामीण नगर पालिकाओं, नगर निगम, निगम कम्पनी आदि से अनुदान हेतु आवेदन कर सकेंगें व व्यक्ति विशेष से भी अनुदान आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकेंगे तथा उक्त हेतु ऊपर लिखित संगठनों से बात चीत भी उक्त विषय में कर सकेंगें।

20. ट्रस्ट के समान उद्देश्य वाली किसी भी धर्मार्थ ट्रस्ट, सम्मिलित, संगठन या संस्था को ग्रहण/अधिग्रहण कर सकेंगे या उनमें विलय कर सकेंगें।

21. अपने ट्रस्ट या समान उद्देश्यों वाली किसी दूसरी ट्रस्ट की किसी शाखा या संस्था को स्थापित करने, संचालित करने, प्रबन्धन करने, दशा सुधारने का कार्य कर सकेंगे। कार्य में सहयोग कर सकेंगे तथा सामान्य उद्देश्यों वाली किसी दूसरी ट्रस्ट में विलय, मान्यता दे सकेंगे।

22. यदि ट्रस्टीगण उपयुक्त समझेगे तो ट्रस्ट के समान (अनुरूप) उद्देश्यों वाली किसी संस्था/संस्थाओं को खरीदने, अधिग्रहण, प्रबन्धन, नियंत्रण तथा सहायता करने, का अधिकार उन्हें होगा।

23. ट्रस्टीगण यदि ट्रस्ट विलय हेतु अधिकृत है तो अन्य ट्रस्ट, समितियों संस्थाओं या संगठनों की सम्पत्तियों, जिम्मेवारियों आदि को खरीदने, अधिग्रहण करने या अपने नियंत्रण में करने का अधिकार होगा।

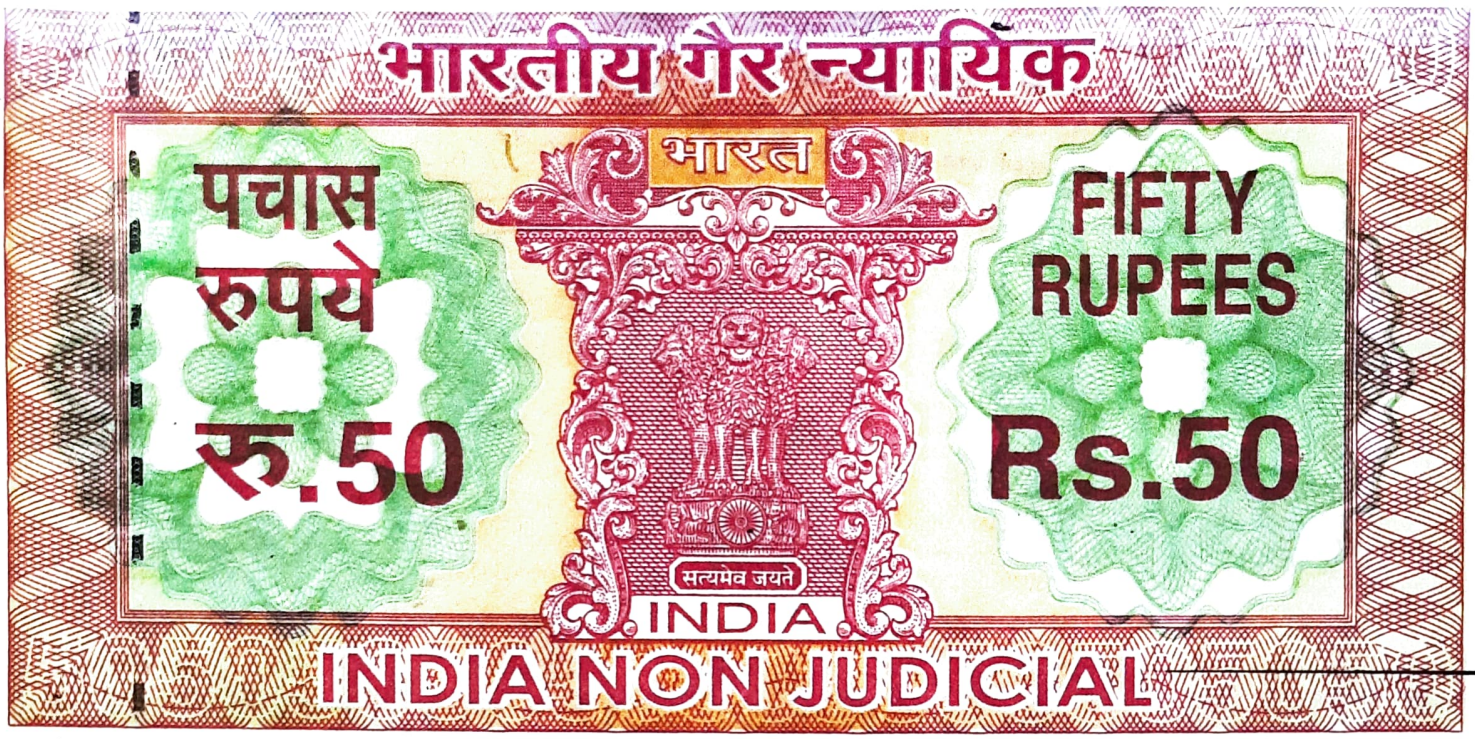

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 476252

24. यह ट्रस्टीगण का पूर्णतः विवेकाधिकार होगा कि वे ट्रस्ट को किसी अन्य समिति, निगम, संस्था, ट्रस्ट या संगठन को अपनी शर्तों के अनुसार हस्तान्तरित या दे सकेंगे तथा उक्त प्रकार के ये संगठन, संस्था या निगम या ट्रस्ट को यह हस्तान्तरण समयानुकूल व परिस्थिति के दृष्टिगत निर्मित नियम कानूनों के अधीन होगा।

07. **बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज–**

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट की सम्पत्ति को ट्रस्ट की ओर से नियंत्रण का अधिकार होगा।
2. बोर्ड ट्रस्ट का खाता "परमहंस पब्लिक स्कूल, हाटा कप्तानगंज रोड, बेलवा सुदामा हाटा जनपद कुशीनगर" के नाम खोला जायेगा जिसका संचालन संस्थापक–प्रबन्धक व सचिव संयुक्त रूप से करेंगे।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बोर्ड को बैंक या वित्तीय संस्थाओं या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से धनराशि ऋण पर लेने का अधिकार होगा तथा साथ ही व्यक्तियों से भी डोनेशन आदि लेने का अधिकार होगा।
4. ट्रस्ट के धर्माथ उद्देश्यों की पूर्ति परमहंस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं अन्य स्टाफ नियुक्त करने का, उन्हें नौकरी से निकालने व उनके कार्यकाल निर्धारित करने का अधिकार होगा।
5. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को समयानुकूल या परिस्थिति के दृष्टिगत ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चार्टर्ड एकाउण्टेट, कानूनी, सलाहकार व अन्य अनुरूप विशेषज्ञ रखने का अधिकार होगा।
6. बोर्ड को ट्रस्ट के बचाव में कानूनी परिवाद दाखिल करने तथा ट्रस्ट के हित में समझौता, सुलह आदि का भी अधिकार होगा।
7. ट्रस्ट के हित में बोर्ड को पूँजी इकट्ठा करने, उसे निवेशित करने, लोन लेने व उक्त लोन का ब्याज अदा करने का अधिकार होगा।
8. बोर्ड को ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्तियों को बेचने, पट्टे पर देने, नीलामी करने आदि का अधिकार होगा।
9. बोर्ड को आयकर अधिनियम–1961 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत ट्रस्ट के फण्ड को निवेशित करने का अधिकार होगा।
10. ट्रस्ट के फण्ड से अर्जित आय को बोर्ड के ट्रस्टीज को व्यक्तिगत रूप से खर्च करने या लाभान्वित होने का अधिकार नहीं होगा (यथा इनकम टैक्स एक्ट–1961 यथा संशोधित की धारा 13 में वर्णित है) अपितु इस आय का प्रयोग ट्रस्ट के विकास हेतु हुए खर्च आदि हेतु होगा।
11. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बोर्ड को देश में या देश के बाहर के किसी भी व्यक्ति या संगठन से उपहार, सहायता अनुदान व डोनेशन लेने का अधिकार होगा।
12. ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बोर्ड को समान उद्देश्यों वाली किसी भी संस्था, संगठन या केन्द्र को संचालित करने का अधिकार होगा।
13. बोर्ड को ट्रस्ट के बेहतर संचालन व प्रशासन हेतु व आचरण हेतु नियम–कानून बनाने का अधिकार होगा, किन्तु ये नियम–कानून ट्रस्ट के उद्देश्यों तथा ट्रस्ट की डीड (विलेख) के विरूद्ध या उद्देश्यों के विरूद्ध न हो।

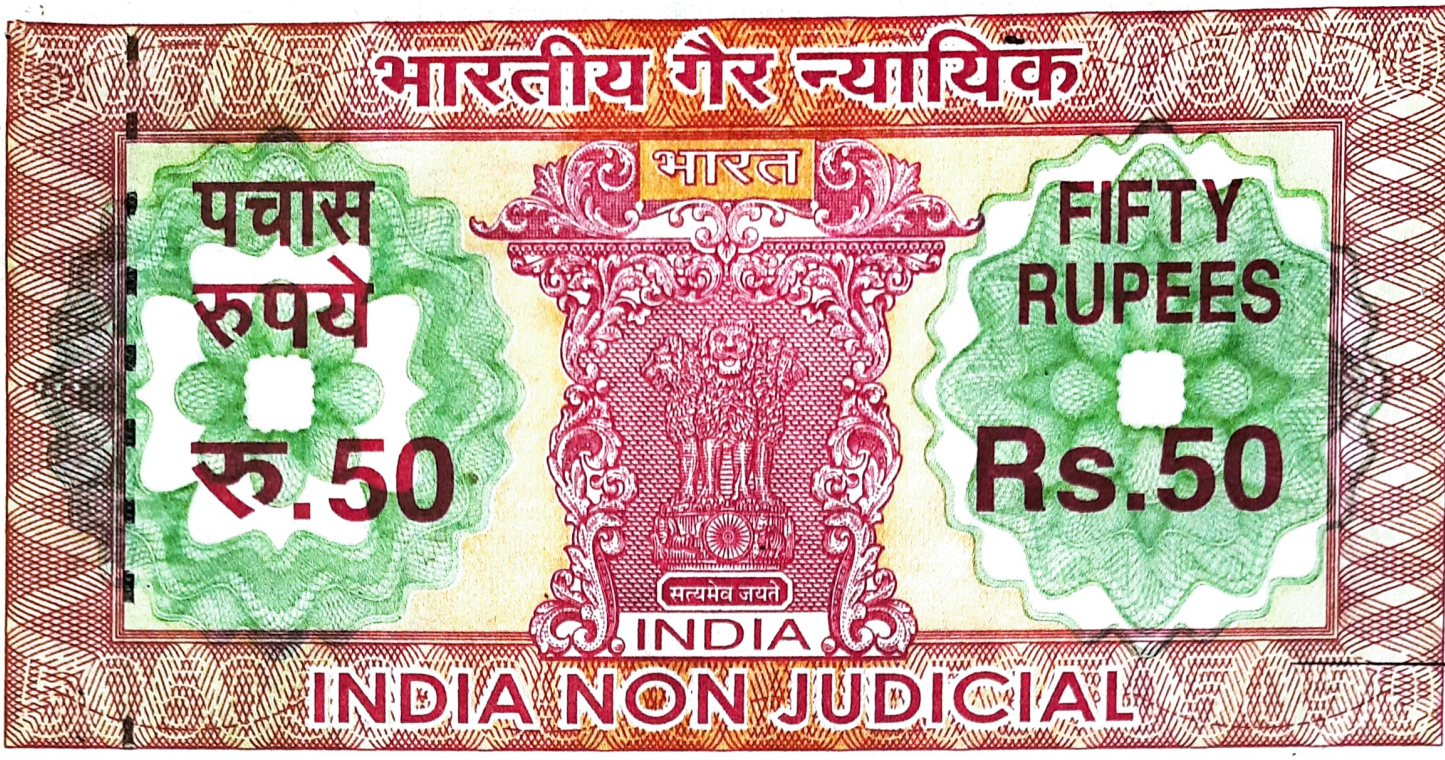

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 476253

14. बोर्ड को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिगत सेवायें प्रदान करने हेतु फीस लेने का अधिकार होगा, किन्तु यह फीस संग्रह लाभ हेतु नहीं अपितु ट्रस्ट के खर्च तथा प्रशासन खर्च की पूर्ति हेतु होगा।

15. ट्रस्टीज को ट्रस्ट व उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये गये प्रयासों व दी गयी सेवाओं के बदले में एक सम्मानित धनराशि प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसे कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज निर्धारित करेंगे व बोर्ड के ट्रस्टीज का खर्च की धनराशि के प्रतिपूर्ति विषयक उपाय करने का भी अधिकार होगा।

16. ट्रस्टीज को ट्रस्ट के कार्यक्रमों के संचालन हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का अधिकार होगा व ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उचित लगने पर ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र विस्तारित करने का भी अधिकार होगा।

17. ट्रस्टीज को स्टाफ (कर्मचारियों) को रखने व उन्हें वेतन देने का अधिकार होगा।

18. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को स्कूल, कालेज, (विशेषता परक तथा व्यवसायिक), पुस्तकालय, पठनकक्ष, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय कॉलेज, नर्सिंग संस्थायें, दवाखाना, मातृ देख–भाल गृह, बाल कल्याण केन्द्र व अन्य धर्माथ संस्थाये खोलने, विकसित करने व चलाने का अधिकार होगा।

19. बोर्ड आफ ट्रस्टीज वैश्विक स्तर पर मानव जाति द्वारा झेली जा रही पर्यावरण व सफाई सम्बन्धी समस्याओं के प्रति जन जागरूकता फैलायेंगे।

08. ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं उनके कार्य–

ट्रस्ट में एक संस्थापक–प्रबन्धक, एक उप प्रबन्धक, एक सचिव होंगे व अपने कार्यों को सम्पादित करेंगे (जैसा कि ट्रस्ट के नियम शर्तों में विदित है)

(क) **संस्थापक–प्रबन्धक–** ट्रस्ट का प्रबन्धक वास्तव में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का ही प्रबन्धक होगा। बोर्ड ही किसी भी ट्रस्टीज के निर्वाचन व उसके निष्कासन का निर्णायक होगा।

(अ) ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ब) सभी अनुशासनात्मक निर्णय ट्रस्टीज की सलाह से लेगा।

(स) तात्कालिक महत्व के सभी मामलों में सचिव (सेक्रेटरी) को सलाह देगा।

(द) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की आपातकालीन बैठक बुला सकता है।

(य) ट्रस्ट के नियम–4 के अधीन ट्रस्टीज को नियुक्त/हटाने का अधिकारी होगा।

(र) बोर्ड ट्रस्ट का खाता "परमहंस पब्लिक स्कूल, हाटा–कप्तानगंज रोड बेलवा सुदामा, हाटा जनपद–कुशीनगर" के नाम खोला जायेगा जिसका संचालन संस्थापक–प्रबन्धक व सचिव, संयुक्त रूप से करेंगे।'

(ख) **उप प्रबन्धक–** उप प्रबन्धक प्रबन्धक की अनुपस्थिति में प्रबन्धक का कार्य करेगा तथा प्रबन्धक के मरणोंपरान्त ट्रस्ट का प्रबन्धक होगा और प्रबन्धक के रूप में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा।

(ग) **सचिव–** सचिव ट्रस्ट के प्रशासन एवं हित से सम्बन्धित समस्त कार्य प्रबन्धक की सलाह से निष्पादित करेगा। ट्रस्टीज के प्रबंधक (इ० अनिल कुमार) के मरणोंपरान्त डा० प्रवीण कुमार प्रबन्धक होंगे तथा बोर्ड की बैठक कर ट्रस्टीज से ही उप प्रबन्धक व सचिव का इस प्रकार चयन होगा कि अनिल कुमार/प्रवीण कुमार ट्रस्टी उपरोक्त के परिवार व पुत्रों में से एक उप प्रबन्धक व एक सचिव होगा तथा उक्त प्रक्रिया आगे चलती रहेगी।

सचिव के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे–

(अ) ट्रस्ट की सभी बैठकें बुलायेगा।

(ब) सभी बैठकों की कार्यवृत्त तैयार करायेगा।

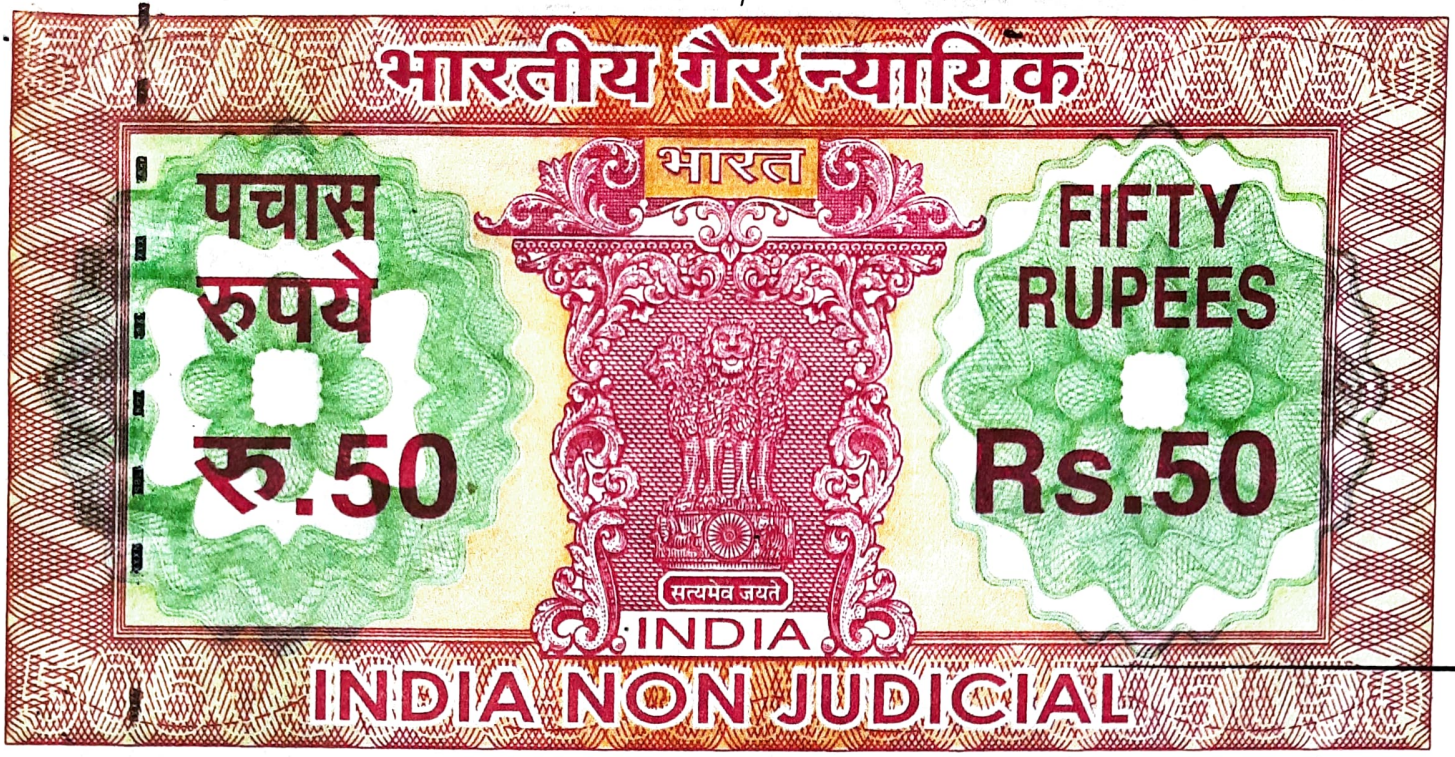

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AZ 476254

(स) आवश्यक निर्देश/सूचना जारी करेगा।

(द) बोर्ड आफ ट्रस्टीज के समक्ष आयी सभी सदस्यता सम्बन्धी आवेदन को प्राप्त करेगा।

(य) अनुदान/डोनेशन के रूप में प्राप्त होने वाली समस्त धनराशि के पावती पत्र पर ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरी करेगा।

09. ट्रस्ट की गतिविधियां–

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक प्रबन्धक या सचिव (सेक्रेटरी) द्वारा आहूत की जायेगी, जब आवश्यक होगा, व कम से कम वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से। इस प्रकार की वार्षिक बैठक ट्रस्ट की वार्षिक सामान्य बैठक कही जायेगी।
2. ट्रस्ट की प्रत्येक सामान्य बैठक में सचिव (सेक्रेटरी) पिछली बैठक से अब तक की (वर्तमान तक की) ट्रस्ट के क्रियाकलापों की रिपोर्ट पढेगा। उसी बैठक में कोषाध्यक्ष उक्त समयावधि की आडिट लेखा, खर्च लेखा व प्राप्ति लेखा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तथा बैलेंस सीट जारी करेगा। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड का प्रबन्धक करेगा तथा उसकी अनुस्थिति में उप प्रबन्धक बैठक की अध्यक्षता करेगा।
3. बैठक की गणपूर्ति (कोरम) कम से कम चार सदस्यों से होगी।
4. बोर्ड आफ ट्रस्टीज ट्रस्ट के एजेण्डा में उल्लिखित समस्त कार्य निष्पादित करेंगे।
5. बैठक में बहुमत से निर्णय लिये जायेंगे तथा बराबर मत की स्थिति में बैठक में प्रबन्धक द्वारा निर्णायक वोट डाला जायेगा।
6. ट्रस्टीज के एक या एकाधिक जगह रिक्त रहने के कारण बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा लिये गये निर्णय इस आधार पर अवैध नहीं मानें जायेंगे।

10. बोर्ड आफ काउंसिल–

1. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आवश्यकता होने पर एक बोर्ड ऑफ काउंसिल निर्मित करेगा व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की प्रथम बैठक में बोर्ड आफ काउंसिल के उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे।
2. बोर्ड आफ काउंसिल का प्रबन्धक, प्रबन्धक कहलायेगा या ट्रस्टीगण में से एक ट्रस्टी को इस काउंसिल का अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है।

11. ट्रस्टीज की जिम्मेदारियां एवं स्वतंत्रतायें–

1. ट्रस्टीगण केवल उस धनराशि, स्टॉक, शेयर एवं फण्ड के प्रति जिम्मेदार होंगे जो उनके नियंत्रंण में है, न कि किसी दूसरे ट्रस्टीगण द्वारा कृत कार्य हेतु या किसी बैंकर के कार्य हेतु।
2. ट्रस्टीगण अपने अधिकार सीमा में ट्रस्टी हित में किये गये कार्य के दौरान किसी क्लेम या विवाद से ट्रस्ट द्वारा बरी रहेंगे। (उन्हें ट्रस्ट के प्रति दी गयी सेवाओं के बदले में तार्किक धनराशि दी जायेगी)।

12. लेखा एवं सम्प्रेक्षण–

1. ट्रस्टीगण वार्षिक स्तर पर ट्रस्ट का नियमित लेखा बनायेंगे व बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नियुक्त सी0ए0 द्वारा उसका सम्प्रेक्षण होगा।
2. ट्रस्ट का लेखा वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

13. बैंक खाते का संचालन–

बोर्ड ट्रस्ट का खाता "परमहंस पब्लिक स्कूल, हाटा–कप्तानगंज रोड बेलवा सुदामा, हाटा, जनपद–कुशीनगर" के नाम खोला जायेगा, जिसका संचालन संस्थापक–प्रबन्धक व सचिव, संयुक्त रूप से करेंगे।'

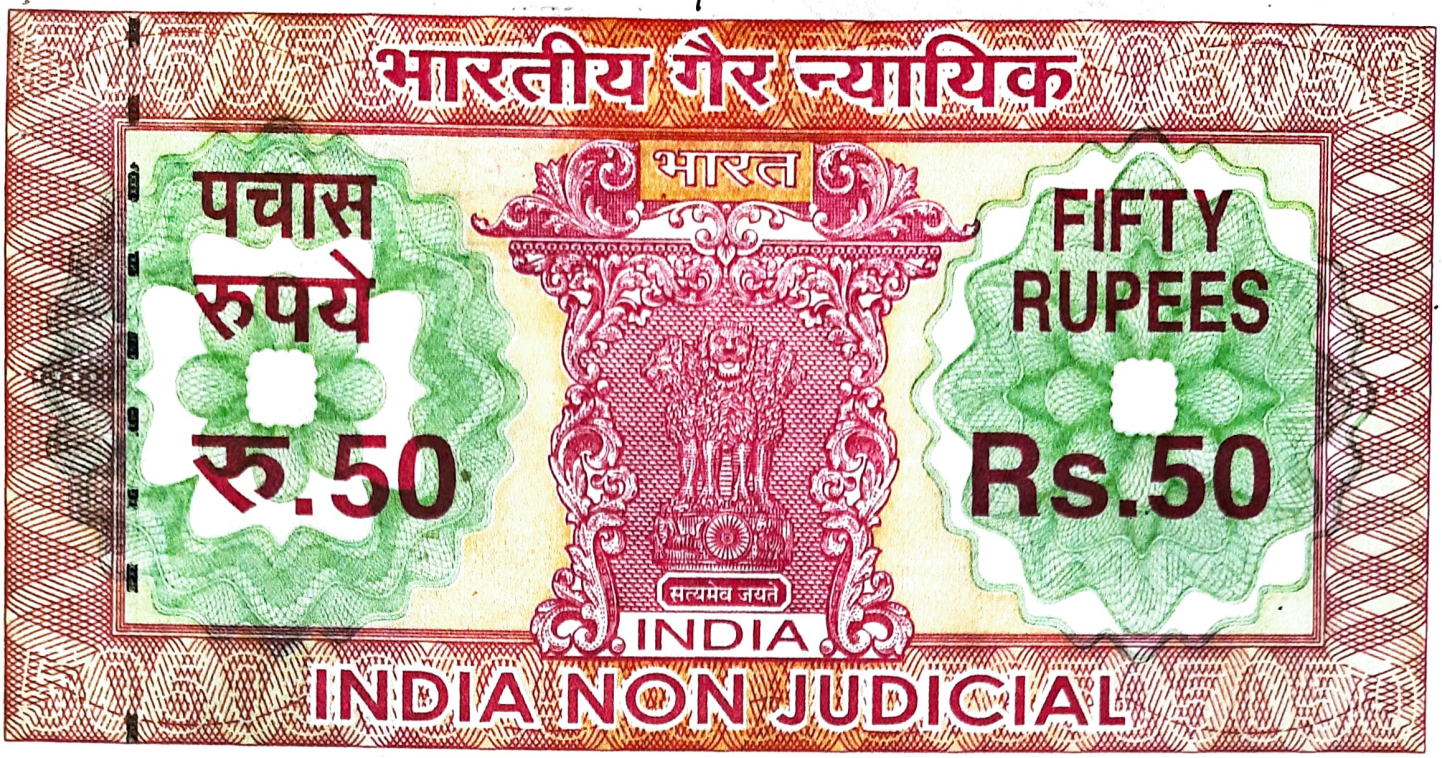

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 476255

14. ट्रस्ट के अभिलेख–

ट्रस्ट के सभी अभिलेख कार्यवृत्ति, संग्रह, डीड, प्रतिभूति, लेखा पंजिका, वाउचर, कागजात व अन्य अभिलेख उस व्यक्ति/व्यक्तियों के नियंत्रण में उस स्थान/स्थानों पर रखे जायेंगे जैसा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा निर्धारित होगा।

15. सदस्यता की बर्खास्तगी सम्बन्धी–

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पास निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत किसी भी सदस्य को बर्खास्त करने का अधिकार है–

1. उसके/उसकी मृत्यु या मानसिक असंतुलन के आधार पर।
2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सामान्य बैठक में हुई वोटिंग (मतदान के आधार पर)
3. उसके/उसकी लिखित त्याग पत्र के आधार पर।
4. यदि उसने बिना पूर्व सूचना दिये लगातार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

16. सामान्य नियम–

1. ट्रस्ट ऐसी कोई क्रिया कलाप नहीं करेगी जिसका उद्देश्य धनार्जन हो तथा ट्रस्ट की कोई गतिविधि भारत देश से बाहर नहीं होगी।
2. यदि ट्रस्ट की समाप्ति घोषित की जाती है तो ट्रस्ट की परि सम्पत्तियां किसी दूसरे धर्माथ ट्रस्ट, समिति या संस्था, जिसके उद्देश्य इस ट्रस्ट के उद्देश्य के समान हो हस्तान्तरित कर दी जायेगी।
3. किसी भी स्थिति में उपरिवर्णित दशा में ट्रस्ट की परि सम्पत्तियों का वितरण ट्रस्ट के ट्रस्टीगणों में नहीं किया जायेगा।
4. ट्रस्ट के लिए यह कानूनी तौर पर उचित होगा कि ट्रस्ट अधिग्रहण या विलय उसी संस्था का करें जिसके उद्देश्य ट्रस्ट के अनुरूप हों।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 476256

दो गवाहों की उपस्थिति में इस ट्रस्ट के संस्थापक ने इस ट्रस्ट की डीड को 6 फरवरी 2016 को उपरिवर्णित शर्तों को दृष्टिगत किया।

दिनांक :

(हरिनारायण)
संस्थापक–प्रबन्धक
ट्रस्ट परमहंस पब्लिक स्कूल (पी0पी0एस0)
निवासी–ग्राम–डुमरी स्वाँगी पट्टी
थाना कोतवाली–हाटा,
जनपद कुशीनगर उ0प्र0
पिन कोड–274206
मो० नं० 9936872719

गवाह–

स्वामीनाथ पु० रामराज
ग्रा० डुमरी स्वाँगी पट्टी
9956824154

रामनरेश सोनकर पु० स्व० हीरा
ग्रा० वार्ड नं० 8 नगर पंचायत हाटा
9956201354

सचिन कुमार श्रीवास्तव
एडवोकेट
हाटा, कुशीनगर
9793341747